



पत्रांक सं०: 350 / 12-1(2) दिनांक 07 / 08 / 2019

सेवा में,

वन संरक्षक,  
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड  
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैजवाडी मोटर मार्ग के किमी० ०४ से आगे बरसीला पोंथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार हेतु 1.8725 हे० का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/28766/2017

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक संख्या-०८बी/यू०सी०पी०/०६/७६/२०१८/एफ०सी०/१०६४ दिनांक २८-०८-२०१८।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित कमियों का बिन्दुवार आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्रांक संख्या-1174/33सी० दिनांक 22-07-2019 से प्रेषित की गयी है जो जो निम्नवत् है।

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	Some other document uploaded in place of alternative examined at para D (ii) a online Part I.	बिन्दु संख्या-01 अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव में संलग्न प्रस्तावित मोटर मार्ग के टोपोशीट मैप में वैकल्पिक मोटर मार्ग के संरेखण को नीले रंग से प्रदर्शित किया गया है।
2	In VLC proceedings of village Bainjwari, name of village Nakheri mentioned in last para. Also VLC of village poth not submitted.	बिन्दु संख्या-02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम नैखरी तथा पोंथ कोई ग्राम सभा नहीं है ये दोनो ग्राम ग्राम सभा बैजवाडी का ही हिस्सा है। जिस हेतु प्रथक से वी०एल०सी० समिष्ट नहीं की गयी है।
3	As per DSS report, area calculation of CA proposed is 6.40 ha instead of 3.745 ha.	बिन्दु संख्या-03 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.8725 हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 3.7450 हे० का संशोधित जियॉरेफरेन्स मैप एवं टोपोशीट मैप एवं के०एम०एल० मूल प्रतियों सहित मय संलग्नको के प्रेषित किया गया है। जिसकी प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। (संलग्न-01)
4	CA area name mentioned in part II para 13 is Bainjwari, thati however in CA scheme it is mentioned Kothar (dagar).	बिन्दु संख्या-04 के क्रम में अवगत कराना है कि भाग-02 के पैरा-13 (i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित थाती डागर की सिविल भूमि का ही उल्लेख किया गया है तथा प्रस्ताव में संलग्न उपयोगिता प्रमाण-पत्र में भी थाती डागर का ही उल्लेख किया गया है।
5	NPV calculation sheet submitted in hard copy is incorrect.	बिन्दु संख्या-05 के क्रम में संशोधित एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन प्रपत्र संलग्न किया गया है। (संलग्न-02)
6	The number of trees affected are mentioned as 70 in hard copy, where as it is mentioned as 69 as per enumeration list uploaded in part II.	बिन्दु संख्या-06 के क्रम अवगत कराना है कि भाग-02 के पैरा-3 (i) में त्रुटि वश 69 वृक्षों का उल्लेख हो गया था जिसे प्रभाग स्तर से संशोधित कर दिया गया है। तथा कुल 70 वृक्षों का विवरण यथा स्थान पर अंकित कर दिया गया है।
7	Four sites mentioned for muck dumping in muck dumpint plan but same is not mentioned at para B 2.4 online part I.	बिन्दु संख्या-07 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा निस्तारण नाप भूमि में

		किया जाना प्रस्तावित है जिसका स्वामित्व काश्तकारो का ही होगा तथा मक डम्पिंग हेतु प्रयोग में लायी जाने वाली भूमि का विवरण कम्पोनेन्टवार ब्रेकअप में तकनीकी कारणों से शामिल नहीं किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। जिस हेतु भाग-01 के एडिशनल कॉलम के क्रम संख्या-17 में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्न-03)
8	Following documents have not been found uploaded in beb portal. (i) Financial Outlat. (ii) CA scheme. (iii) CA site suitability certificate. (iv) work not start certificate. (v) Bar chart. (vi) Geologist report. (vii) Joint inspection report.	बिन्दु संख्या-08 के क्रम प्रस्तावक विभाग द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया है। (i) फाईनेशियल आऊटलेट भाग-01 के एडिशनल कॉलम में क्रम संख्या-03 में अपलोड कर दिया गया है। (ii) क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन भाग-01 के एडिशनल कॉलम में क्रम संख्या-11 में अपलोड कर दिया गया है। (iii) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र भाग-01 के एडिशनल कॉलम के क्रम संख्या-12 में अपलोड कर दिया गया है। (iv) कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण-पत्र भाग-01 के एडिशनल कॉलम में क्रम संख्या-13 में अपलोड कर दिया गया है। (v) बार चार्ट भाग-01 के एडिशनल कॉलम में क्रम संख्या-14 में अपलोड कर दिया गया है। (vi) भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट भाग-01 के एडिशनल कॉलम में क्रम संख्या-15 में अपलोड कर दिया गया है। (vii) संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट भाग-01 के एडिशनल कॉलम में क्रम संख्या-16 में अपलोड कर दिया गया है।
9	Signed copy of Part I,II,IV,V and muck disposal plant not found in hard copy.	बिन्दु संख्या-09 के भाग-01 एवं भाग-02 की हस्ताक्षरित प्रति मय संलग्नकों के प्रेषित की जा रही है। तथा भाग-4 एवं भाग-05 की प्रति उच्च स्तर से हस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है। (संलग्न-04)

संलग्न-यथोपरि :-

भवदीय

उप वन संरक्षक,  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- 350 / 12-19 दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर को उनके कार्यालय के पत्रांक संख्या-1174/33सी0 दिनांक 22-07-2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि भाग-01 की हस्ताक्षरित प्रति 02 प्रतियों में अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप वन संरक्षक,  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।